कार्यालयः हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

अल्पकालिक ऑफलाईन निविदा सूचनाः–

उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण की ओर से बहुआयामी कार्यक्रम विजन 2047 के अन्तर्गत हेतु दक्ष/अनुभवी फर्म से टू–बिड़ सिस्टम के अन्तर्गत (तकनीकी एवं वित्तीय) जो आयकर एवं जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत हो से निविदा पेटी के माध्यम से निविदा दिनांक 02.07.2025 अपरान्ह् 02:00 तक आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदायें नियत तिथि दिनांक 02.07.2025 को अपरान्ह् 2:00 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में डाली जायेगी। निविदायें 02 पृथक–पृथक प्रणाली तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा एक लिफाफे में सील बन्द कर निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। तकनीकी निविदा में निविदादाता द्वारा तकनीकी दस्तावेज उल्लेखित शर्तो के अनुसार डाली जायेगी तथा वित्तीय निविदा में निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र पर निर्धारित स्थानों पर हस्ताक्षर सहित वित्तीय दर के साथ प्रस्तुत की जायेगी। उल्लेखित कार्यों की पहले तकनीकी बिड़ जो उसी दिन अपरान्ह् 03:00 बजे के बाद निविदा समिति के द्वारा उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड़ बाद में खोली जायेगी। उक्त निविदायें दिनांक 30.06.2025 से दिनांक 02.07.2025 में कार्य दिवस में अपरान्ह् 1:00 बजे तक निर्धारित धनराशि पर प्राधिकरण कार्यालय निकट तुलसी चौक, मायापुर, हरिद्वार स्थित लेखानुभाग से क्रय की जा सकती है। निविदा हेतु धरोहर राशि राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा जारी एफ0डी0आर0 जो अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के पदनाम से कम से कम 30 दिनों हेतु बन्धक हो मान्य होगी जो तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी। निविदा के संबंध में विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र में भी उल्लेखित है। कार्य का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य अनुमानित लागत जी0एस0टी0 सहित (लाख में)	धरोहर राशि (रू0 में)	निविदा मूल्य (रू0 में)	कार्य अवधि
01	बहुआयामी कार्यक्रम विजन 2047 के अन्तर्गत जर्मन हैंगर आदि की अस्थाई व्यवस्था की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	23.95	72,000.00	2360.00	01 दिन
02	बहुआयामी कार्यक्रम विजन 2047 के अन्तर्गत लाईटस एण्ड साउण्ड सिस्टम आदि अस्थाई व्यवस्था की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	11.81	35,500.00	1770.00	01 दिन
03	बहुआयामी कार्यक्रम विजन 2047 के अन्तर्गत स्टेज बैरिकेडिंग एवं बैठने की अस्थाई व्यवस्था का कार्य।	24.22	73,000.00	2360.00	01 दिन

अधिशासी अभियन्ता,
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव / मुख्य वित अधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
3. संबंधित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्री बृजेश उपाध्याय सिस्टम एडमिनिस्ट्रटर को इस निर्देश के साथ की संलग्न ऑफलाईन सूचना प्राधिकरण की वेबसाईट www.onlinehrda.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. प्रशण लिपिक शाखा कार्यालय, हरिद्वार एवं रूड़की को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अभियन्ता,
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

फर्म/ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु प्रस्तुत तकनीकी शर्तेः–

1. फर्म के पास कार्य से संबंधित समान कार्य का किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/पी0एस0यू/प्राईवेट आदि का निविदा लागत के 80 प्रतिशत की धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) का कम से कम एक कार्य का अनुबन्ध अथवा निविदा लागत के 50–50 प्रतिशत धनराशि के दो कार्य अनुबन्ध अथवा 40–40 प्रतिशत से अधिक धनराशि के तीन कार्य अनुबन्धों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया हो का **Work Done Completion Certificate** प्रस्तुत करना होगा।
2. पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत/संलग्न करना होगा।
3. जी0एस0टी0 पंजीकरण की प्रति प्रस्तुत/संलग्न करना होगा।
4. धरोहर धनराशि जो कि अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के पक्ष में निर्धारित धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/बैंकर्स चेक/बैंक गारण्टी, जिसकी वैधता निविदा की अंतिम वैध अवधि के पश्चात 45 दिन की होनी चाहिये।
5. फर्म/ठेकेदार द्वारा ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ पत्र के साथ–साथ अपलोड/जमा किये जा रहे दस्तावेजों का सत्यापन संबंधी शपथ पत्र रू0–100.00 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।
6. निविदा की वैधता 30 दिनों तक मान्य हेतु फर्म/ठेकेदार को उत्तराखण्ड राज्य के रू0–100.00 के स्टाम्प प्रपत्र पर उल्लिखित करते हुये प्रस्तुत करना होगा।
7. फर्म को धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
8. फर्म/ठेकेदार के रंनिग बिल/अंन्तिम बिल से नियमानुसार आयकर, जी0एस0टी0, लैबर सेस, जमानत धनराशि आदि की कटौती की जायेगी।
9. कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त कार्य को निर्धारित अवधि में मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार पूर्ण कराना होगा। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में नियमानुसार जुर्माना/पैनाल्टी/विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
10. प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य हेतु समस्त भुगतान मूल्यांकन एवं सत्यापन उपरान्त ही किया जायेगा। इंजीनियर–इन–चार्ज के निर्देशों के क्रम में स्थलानुसार कार्य की मात्राओं में घटौतरी/बढ़ौतरी, जो भी सम्भव हो कराया जायेगा, जो कि कार्यदायी फर्म/ठेकेदार को मान्य होगा।
11. उपरोक्त समस्त निविदाओं को स्वीकृति/निरस्त करने का सर्वाधिकार बिना कारण बताये उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार को निहित है।
12. समस्त निर्धारित/उल्लेखित शर्तो का पालन न करने की दशा में तथा किसी सूचना को छुपाये जाने की दशा में किसी भी समय निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
13. प्रत्येक निविदादाता को एक कार्य के लिये एक ही निविदा डालने का अधिकार होगा। एक से अधिक निविदा डालने पर निविदादाता को अयोग्य घोशित किया जायेगा।
14. असफल निविदादाता की धरोहर राशि प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 01 माह के भीतर अवमुक्त की जायेगी।
15. निविदादाता को निविदा संबंधित समस्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करने होगें । यदि निविदादाता द्वारा अपने स्थान पर अपने प्रतिनिधि को हस्ताक्षर हेतु अधिकृत किया जाता है तो निविदादाता को रू0–10.00 रूपये के स्टाम्प प्रपत्र पर पावर ऑफ अटॉर्नी उल्लेखित करते हुये देनी होगी।
16. निविदा की गुणवत्ता से समझौता किये बिना निविदादाता की प्रपत्र सम्बन्धी किसी भी कमी को इग्नोर करने का अधिकार निविदा समिति का होगा।
17. किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार का निर्णय मान्य होगा असहमति की दशा में न्यायिक क्षेत्र जनपद–हरिद्वार रहेगा।
18. किसी भी प्रपत्र के निर्णय के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

अधिशासी अभियन्ता
हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार